कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

–:: कार्यालय आदेश ::–

विभागीय पदोन्नति समिति से चयनोपरांत श्री सुनील कुमार वरिष्ठ अध्यापक, राउमावि बड़ाऊ का पदस्थापन पदोन्नति पश्चात् आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था/सी–6/राजवि/डीपीसी पदस्थापन /2017–18 दिनांक 26.03.18 द्वारा व्याख्याता राजनीति विज्ञान के पद पर राउमावि रिया टुण्डा, तारानगर चूरू किया गया। सुनील कुमार ने अपने पद स्थापन आदेश के विरूद्ध, माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में याचिका संख्या 8673/2018 दायर की। याची ने अपनी याचिका में गुहार की है कि याची के पिताजी कैंसर पीडित है जिनका जयपुर में ईलाज चल रहा है तथा याची के अलावा उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं । अतः याचि का पदस्थापन उसके गृह जिले झुन्झुनू में किया जाना चाहिये । माननीय उच्च न्यायालय में याची को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं अप्रार्थीगण द्वारा अभ्यावेदन निस्तारण करने का आदेश दिया है । अतः याची ने अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।

याची के अभ्यावेदन का गहनता से अध्ययन व मनन करने तथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर याची की मांग के विषय में स्पष्ट है कि याची का पदस्थापन पदोन्नति पर राउमावि रिया टुण्डा (चुरू) किया गया । याची को 5.4.18 तक उक्त स्थान पर कार्यग्रहण करना था, परन्तु याची ने अन्तिम तिथि तक कार्यग्रहण नहीं किया और न ही कार्य ग्रहण अवधि बढाने के लिये आवेदन किया । याची का यह कथन तर्कसंगत नही है कि बिना पुनःकाउसंलिंग के याची का पदस्थापन किया गया क्योंकि याची काउसलिंग में अनुपस्थित रहा । अतः याची का पदस्थापन विभागीय आवश्यकतानुसार काउसलिंग में दर्शायी गयी रिक्तियों में कर दिया गया, जिसके लिये पुनः काउन्सलिंग का कोई प्रावधान याची पर लागू नहीं होता । याची का अभ्यावेदन खारिज करते हुवे निस्तारित किया जाता है ।

सभी पक्षकार सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–6/**याचिका सं0 8673**/18
दिनांक 07-08-2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
1. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर
2 विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा
3. संबंधित कार्मिक सुनील कुमार
4. गार्ड पंजिका,

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

रमेश मईडा व्याख्याता राजनीति विज्ञान का स्थानान्तरण आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था/सी–6/स्थानान्तरण/राजनीति विज्ञान/ 2018/ दिनांक 03.06.18 द्वारा राउमावि आबापुरा (बासंवाडा) से राउमावि कोटडा (बांसवाडा) किया गया । रमेश मईडा ने स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में अपील संख्या 1328/2018 दायर की अपीलार्थी ने कहा कि उसका स्थानान्तरण उसकी इच्छा के विरूद्व किया गया है इसके अतिरिक्त अपीलार्थी राजस्थान शिक्षक संघ (प्रगतीशील) का जिलाध्यक्ष है अतः उसका स्थानान्तरण नहीं किया जाना चाहिये । माननीय सिविल सेवा अधिकरण ने अपने निर्णय में अपीलार्थी को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा अभ्यावेदन निस्तारण का आदेश दिया जिसकी पालना में अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया ।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का गहनता से अध्ययन व मनन करने तथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर अपीलार्थी की मांग के विषय में स्पष्ट है कि अपीलार्थी का यह कथन तर्कसंगत नहीं है कि उसका स्थानान्तरण उसकी इच्छा के विरूद्व किया गया तथा वह शिक्षक संघ का पदाधिकारी है अतः उसका स्थानान्तरण आदेश निरस्त किया जाना चाहिये । अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर किया गया है और स्थानान्तरण पर यात्रा व्यय एवं योगकाल नियमानुसार दे दिया गया है व्याख्याता का पद राज्य स्तरीय सेवा का पद है व छात्र हित एवं लोक हित में किसी भी व्याख्याता को राज्य में किसी भी स्वीकृत पद पर स्थानान्तरण किया जा सकता है ।

उक्तानुसार अपीलार्थी का अभ्यावेदन खारिज करते हुवे निस्तारित किया जाता है । सभी पक्षकार सूचित होवें ।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर
दिनांक 07-08-2018

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–6/**याचिका सं01328**/18
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर
2. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा
3. संबंधित कार्मिक रमेशचन्द्र मईडा
4. गार्ड पंजिका

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर